कार्यालय अधिष्ठाता



छत्तीसगढ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर (छ.ग.) — **495001** FAX (O) - 07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030, 222302 Website: www.cimsbilaspur.ac.in, email-deancims@gmail.com

/अधि. / सिम्स / बिलासपुर / 22 क्रमांक. /

दिनांक

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 के शैक्षणिक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है : -

D.D. in favour of

1. शिक्षण शुल्क (Tution Fees) :

स्वशासी समिति सिम्स, बिलासपुर : राशि रू. 40,000.00

Autonomous Committee, CIMS, Bilaspur : Amount Rs. 40,000.00

2. गैर सरकारी शूल्क कॉशन मनी सहित (Non Govt Fees with caution money) :

अधिष्ठाता, सिम्स, बिलासपुर : राशि रू. 10,000.00

Dean, CIMS, Bilaspur : Amount Rs. 10,000.00

प्रवेश से संबंधित जानकारी हेतु संपर्क सूत्र :

डॉ. प्रशांत निगम, सह प्राध्यापक मो.नं. 9993604518





CHHATTISGARH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (CIMS) GOVT. OF CHHATTISGARH, BILASPUR(C.G.) FAX (O) - 07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030, 222302



Website: www.cimsbilaspur.ac.in, email-deancims@gmail.com

REPORTING SLIP - SESSION 2021-22	<u>.</u>
Son/Daughter	r of
ET LIC Evancination and Law manastina fo	n admission in N

has been passed NEET UG Examination and I am reporting for admission in M.B.B.S. at C

Му

	nattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur (C.G.). EET UG details are –
1.	Roll no.
2.	D.O.B
3.	Age (as NEET/State PG Rules)
4.	Rank
5.	Category (UR/ST/SC/OBC)
6.	Class (S/FF/PH)
7.	NEET/State Percentile

I am submitting the copy of following documents:-

No.	Particular	Yes	No
1	Admit card		
2	Mark sheet		
3	Rank Letter		
4	Allotment letter		
5	10 th Mark sheet or birth Certificate		
6	12 th Mark sheet		
7	Domicile certificate as prescribed in CGPMT Rule		
8	Income Certificate from Tehsildar Office within last 3 years for OBC		
9	Caste certificate issued by CG Govt./AI		
10	Class certificate (S/FF/PH)		
11	Medical Certificate		
12	Transfer Certificate		
13	Character Certificate		
14	Migration Certificate		
15	Gap Certificate if applied (on 50 Rupees stamp)		
16	Caste affidavit (on Rs 50 stamp)		
17	Rural service & discontinuation bond [Two separate bonds one is signed by		
	student (अनुस्ची5(क)) another one is signed by parent (अनुस्ची 5(ख)) both on		
	250 rupees non judicial stamp]		
18	Anti Ragging affidavit- Student (on Rs 50 stamp)		
19	Anti Ragging affidavit- Guardian(on Rs 50 stamp)		
20	Document authentication affidavit (on Rs 50 stamp)		
21	AADHAR Card Photo Copy		
22	Other -		



अनुसूची - पांच (क)

	(250 / – के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)
(छत्तं	ीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठचक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य— शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बाण्ड्) का प्रारूप)
1.	मेंपुत्र / पुत्री / पत्नि श्री
	छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन
	एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य / आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।
2.	यह कि मुझे वर्ष में आयोजित "पीएमटी" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा
	महाविद्यालयमें शैक्षणिक सत्र में सीट आबंटित की गई है ।
3.	यह कि वर्ष की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांकरायपुर दिनांक
	छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर
	भली भाँति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका जिसमें राज्य शासन के अधीन
	सेया करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे मैंने भली-भाँति
	समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।
4.	मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता / करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को
	सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक
	अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा / करूंगी।
5.	यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो
	जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण
	करने पश्चात् किया जायेगा।
6.	यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व
	अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री
	पुत्र/पुत्री/पत्नि श्रीकी चल व अचल
	संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपयेशब्दों में (रूपए
) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की
	गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की
	जावेगी।
	7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण
	पत्र पटान नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता



- 8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा / करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।
- 9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र रवमेव निरस्त समझा जावेगा।
- यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगां

1हस्ताक्षर हस्ताक्षर अवेदक / निष्पादनकर्ता हस्ताक्षर अवेदक / निष्पादनकर्ता प्रातिभूतिकर्ता गवाह मं. 1 का प्रोटो प्रातेभूतिकर्ता का प्रोटो प्रातेभूतिकर्ता गवाह 01 गवाह 02 प्रतिभूतिकर्ता भैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी	गवाह : —				हस्ताक्षर	
2हस्तासक्षर आवेदक प्रतिभूतिकर्ता का प्रवाह नं. १ का फोटो फोटो पेते १ का फोटो फोटो आवेदक प्रतिभूतिकर्ता गवाह 01 गवाह 02 प्रतिभूतिकर्ता मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी	1	रस्तााक्षर				Į.
का फोटो का प्रतिभूतिकर्ता गवाह न. 2 का फोटो आवेदक प्रतिभूतिकर्ता गवाह 01 गवाह 02 प्रतिभूतिकर्ता मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री निवासी	2	हस्तासक्षर			जायस्य / ।नव्यादनकर्त	1
मेंपुत्र / पुत्री / पत्नी श्री		का फोटो	का फोटो	1 का फोटो	2 का फोटो	
उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में			प्रतिभूतिकर्ता			
उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में	मैं	<u>.</u>	त्र/पुत्री/पत्नी श्री	*************************	निवासी	
उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।	उपरोक्तानुसार बन्ध	। पत्र के लिए प्रा	तिभूति तथा बन्ध पत्र	के उल्लंघन की द	रशा में बन्ध पत्र में	
	उल्लेखित राशि मेरी च	ग्रल व अचल संप	त्ति से वसूल की जा	सकंगी ।		



अनुसूची-पांच (ख)

(सभी प्रवेशित अभ्यिर्थियों हेतु)

(250 / – के नानज्युोडिशयल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए) छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

		मेरा पुत्र/पुत्री		.आत्मज/आत्मजा श्री	***************************************
>>*	निव	गसी छ	न्तीसगढ़ के चि	कित्सा महाविद्यालय	में स्नातक
पाठः	ाक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चय	नित अभ्यर्थी हूं।		
1.	मैंने प	छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एव	ं परिवार कल्याण	विभाग मंत्रालय रायप	र की अधिसचना क्रमांक
	*******	दिन	त्रांक ''१	उत्तीसगढ चिकित्सा द	त चिकित्सा एवं भौतिक
	चिकि	त्सा, स्नातक प्रवेश नियम –	एवं '	'निर्देशिका" में निहित	प्रावधानों को भली-भांति
	पढ़क	र समझ लिया है।			:
2.	मेरा !	पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सा	मान्य/आरक्षित श्रे	ाणी का छात्र / छात्रा है	1
3.	में एत	तद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न	शर्तो पर निष्पादि	त करता है कि :-	
	(ক)	मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक प	ाठ्यक्रम सफलता	पूर्वक पूर्ण करने वं	रे पश्चात, शासन द्वारा
		अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में	दो वर्षों की क	गलावधि तक चिकित्स	ग अधिकारी के रूप में
		शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र/सं	स्था में कार्य करेग	🛮 / करेगी ।	
	(ख)	मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा ख	उपरोक्त अवधि त	क ग्रामीण सेवा करने	ने का प्रमाण पत्र जिसे
		आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के	द्वारा प्रदान किय	ा जायेगा के प्रस्तत व	_{जरने} के पश्चात ही उसे
		स्नातक की उपाधि की प्रापि	त हेतू संस्था प्रमुख	ब द्वारा अनापत्ति प्रदा	न की जायेगी।
	(ग)	मेरे पुत्र / पुत्री के द्वारा ग्राग	भीण सेवापूर्ण न	करने की दशा में मेरे	पत्र / पत्री की स्नातक
		उपाधि व मूल अभिलेख राज	ासात किये जा स	केंगे।	
	(ঘ)	यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा	द्वितीय काउंसिति	तंग की प्रवेश की अंति	म तिथि उपरान्त शिक्षण
		सत्र् हेतु एमबीबीए	स पाठ्यक्रम की	प्रवेशित सीट का परित	याग किया जाता है तो.
		मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हे	तु रू. 25 लाख	अथवा आरक्षित श्रेणी	हेत् रू. 20 लाख तथा
		छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो)	शासन को देय होगी	I
पता	********				
क्रीन	नं		अभिभावक	प्रतिभूतिकर्ता	
_{पम} ा अभिभ		***************************************	का	का	हस्ताक्षर
आगर	गपक		फोटो	फोटो	
			अभिभावक	प्रतिभूतिकर्ता	

6

प्रतिमूतिकर्ता

मैंपुत्र/पु उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की जायेगी।	त्री / पत्नी श्री ो दशा में शपथ प	त्र में उल्लेखित रा	.निवासी शे मेरे द्वारा प्रदाय की
गवाह के हस्ताक्षर नाम एवं पता सहित : -			
1 हस्ताक्षर 2 प्रतिभूतिकर्ता	गवाह नं. 01 का फोटो	गवाह नं. 02 का फोटो	
	1. 11418	2. गवाह	नाम :
ş			पता :
MIN			(minumum),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

शपथ पत्र

आरक्षित सीट पर प्रवेशित/चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत

	計	श्री / श्रीमती /	'कंमारी			OTE		उम्र	वर्ष
व्यवर	मारा	MIX MUMILY	नि	वासी	*****	. तहसील	*********	जिला	******
राज्य	1 1	शपथपूर्वक	कथन कर	ता / करती हैं	कि -				
1.	लाभ	द्वारा अनुसूचित /सुविधा हेतुः	आवेदन पत्र	प्रस्तुत किया	गिया ह/ थ	11 1	के लिए 3	गरिक्षत र	भीट /
2.	मेरा	चयन आरक्षित	सीट के अध	व्ययधीन प्रदा	न की गई है	1			
3.	 किर	द्वारा अनुसूचित (प्राधिकृत अधि ग गया है।	विकारी का	नाम एव पद) द्वारा जारा	सिमाजिक ४	सास्थात अर	1191-42	n (g)
4.	तथ भेरे	द्वारा प्रस्तुत प्र ा उक्त प्रमाण- सर्वोत्तम ज्ञान	-पन्न जारी व एवं जानका	करने हेतु मेरे री के अनुसा	ं द्वारा सक्षम र सत्य है।	प्राधिकारा क	। दा गइ ४	नुनुस्त जा	чилхі .
5.	संबंध प्राणित हैं संविध की संबंध प्राणित की कि की साथ क	तचित उपर्युक्त हा में कोई शि रेथिति जिला र अथवा गहन र दर्भित करती है गई जांच व वंध में किया गया चयन / प्रदत्त । नाम) रथा जा सकेगा संबंध में व्यय शि मुझसे भू र त्तीसगढ अनुस् गणीकरण का केगी।	कायत प्राप्त तरीय सत्याप तरीय सत्याप तरीय सत्याप तथा उक्त पारित निर्णः है तो बि तथा मै उ की गई सा जिल्हा जानि	होती है तर ान समिति में ामाजिक प्रां समिति या र य से यह प्रः ा प्रस्तुत सा ना किसी 3 ा, यथास्थिति का, यथास्थिति का अनावेदक काया की भो	या उक्त क री सामाजिक रथिति प्रमाण मितियों के व माणित होता माजिक प्रारिप गपबाद के व अनावेदक द्वारा तत्काव प्रवेश/निक को वापस जिनजाति/व	आधार पर के प्रास्थिति के प्रास्थिति के स्वारा मेरी साम है कि मेरे हे अति प्रमाण पर आरक्षित सीट (संबंधित शैक्ष प्रमाय से वांचन / चयन / करने हेतु बा सकेगी तथ	संबंध में व तरीय छान गिक प्रास्थि गरा सामाजि त्र गलत अध्यय गिक संस्थि निरस्त सं / प्रदत्त ला यित्वाधीन हं गा उक्त संबं	ने र राजी कोई जॉच बीन सिमें थित के र राजि के राजि था कपट सिमें मेरा जा जा किया है जो के सिमें सिमें मेरे के का प्रारिष्ट के किया है कि प्रारिष्ट के सिमें मेरे के का प्रारिष्ट के सिमें मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे म	करती ति को तंबंध में प्रति के पूर्वक शासन पवर्जित । आदि । उक्त विरुद्ध थति के
	ZI:	9 711			e.				,
							हस्ताक्ष		
			a a					**	
					सत्यापन				
		में श्री हूं कि इस	/श्रीमती / व	ृमारी	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	आत्मज/आ	त्मजा	************	सत्यापित
य	रता	हॅ कि इस	रापथ पत्र	जी कंडिका	1 से 5 में	उल्लिखि त	लेख मेरे	सर्वोत्तम	ज्ञान एवं
ับ	ानक	गरी अनुसार स	हीं है जिसे	में पूरे होशो	हवास में स	त्यापित करता	展		
								ıσ	
							6 27114	\$ > milyrrrrrr	
				FR.					
			3100	M	2017.doox				
F	Student	Section\Year 2015\PMT	& Pie PGIPMTN'M	2017/17	*********	1	•		

17.3

(50/- के नानुष्युश्चिरियस स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सरवापित किया जाए)

शपथ-पत्र

में पुत्र/पुत्री/पिल श्री
निवासी एत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में
स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में आबंटित अन्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम हेतु
अनारक्षित / आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
मेरे हारा स्कृदनी में प्रस्तुत किये मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी
दस्तादेज मेरी जानकारी अनुसार सत्य और सही है यदि इनमें कोई बस्तावेज असत्य ∕ झूठे पाये जाते है तो मेरी
जिम्मेदारी होगी तथा मेरे द्वारा कोई भी सुसंगत तथ्यों को छियाया नहीं गया है।
उपरोक्त में याद कोई न्यूनतः या झूठे प्रमाण पत्र पाये जाते है तो मेरा प्रवेश निरस्त सहित
आवश्यक अपराधिक एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा तथा मूझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
गवाह :
1इस्ताबर
2 हस्ताक्षर आवेदक/निष्पादनकर्ता
principal processing processing processing
सवाह नं. गयाह नं. आवेद्धक १ का का फोटो
फ़ोदो फ़ोर्ख
नोट : एक गवास आवेदक पालक/माता/पिता में से कोई एक होना आवश्यक है।

PASIMPEN Section V ear 2013 PMT-& Pro PG/PM1/PMT 2017 Leuer NEET - 2017 docu

ANNEXURE – II AFFIDAVIT BY THE STUDENT



1.	I
	student) admission/registration/ enrolment number)
w v	of Mr./ Mrs./ Ms
2.	
3.	I have in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging. I have also in particular perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administration action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
4.	I hereby solemnly aver and undertake that
	c) I will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulation.
_	d) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
5.	I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me
(under any penal law or any law for the time being in force
0.	I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my
	admission is liable to be cancelled. Declared this
	Signature of deponent Name
	Address
	Telephone /Mobile no
	VERIFICATION Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.
	Verified at (place)on date
	Signature of deponent
	Name
	Address Telephone /Mobile no
(Solemnly affirmed and signed in my presence on the (date)
conten	t of this affidavit

OATH COMMISSIONER



ANNEXURE – II AFFIDAVIT BY PARENT / GUARDIAN

1.	Mr./ Mrs(fi	ull name
a Mart out	of parent / guardian) father/ mother / guardian of	
	(Full name of student) admission/registration/ e	nrolment
	number) have received a copy of the UGC Regul	lation on
	Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009(herein after c	alled the
	"Regulation") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Reg	gulations.
2.	I have in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes	ragging.
3.		
	the penal and administration action that is liable to be taken against my ward in case he/she	
	guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote	ragging.
4.	I hereby solemnly aver and undertake that	
	a) My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as raggi	ing under
	clause 3 of the Regulation.	_
	b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of comm	nission or
	omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.	
5.	I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according	to clause
	9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken as	gainst my
	ward under any penal law or any law for the time being in force.	
6.	I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any in	nstitution
	in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to	promote,
	ragging and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admissi-	on of my
	ward is liable to be cancelled.	
	Declared this day of month of year.	
	Signature of o	deponent
	Name	
	Address Telephone /Mobile no	
	VERIFICATION	
	Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and r	no part of
	the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.	
	Verified at (place) on date	
	Signature of o	denonent
	Name	
	Address	
	Telephone / Mobile no	
Solem	mnly affirmed and signed in my presence on the (date) after reading the	ne content
of this	is affidavit.	

OATH COMMISSIONER